संख्या-46/2026/639/001-12-5-9-2021

प्रेषक,

संजीव रंजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 24 जून, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों की डाटा बैंक योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस-302/डाटा बैंक वित्तीय स्वीकृति/2026-27, दिनांक 09 जून, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी, 05-फसलो की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ो का डाटा बैंक योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में प्रावधानित धनराशि रू० 300.00 लाख के सापेक्ष रू० 161.70 लाख (रूपये एक करोड़ इकसठ लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित गाइडलान्स एवं दिशा-निर्देशों/संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
6. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
7. आंकडों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
8. सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2401001110500 (फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	02 मजदूरी	33,60,000 (रुपये तैंतीस लाख साठ हजार मात्र)
2	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	07 मानदेय	33,60,000 (रुपये तैंतीस लाख साठ हजार मात्र)
3	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	08 कार्यालय व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
4	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	11 लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	23,00,000 (रुपये तेईस लाख मात्र)
5	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
7	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	29 अनुरक्षण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
8	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	42 अन्य व्यय	42,00,000 (रुपये बयालीस लाख मात्र)
9	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
10	011	2401001110500 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	17,00,000 (रुपये सत्रह लाख मात्र)
	कुल			**1,61,70,000 (रुपये एक करोड़ इकसठ लाख सत्तर हजार मात्र)**

महायोग	1,61,70,000 (रुपये एक करोड़ इकसठ लाख सत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
संजीव रंजन
विशेष सचिव।

संख्या-46/2026/639/001-12-5-9-2021, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ संबंधित को धनराशि का आवंटन करते हुए आवंटन प्रति की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त कृषि निदेशक (कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा), कृषि भवन, लखनऊ।
8. संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन) कृषि भवन, लखनऊ।
9. वित्त ई-1/नियोजन अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in